रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23102023-249591
SG-DL-E-23102023-249591

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 19, 2023/आश्विन 27, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 259
No. 315]	DELHI, THURSDAY, OCTOBER 19, 2023/ASVINA 27, 1945	[N. C. T. D. No. 259

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 6 जुलाई, 2023

फा. 8(128)/2018/नर्सिंग/स्वा. एवं परि.कल्या./1534.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की जीएसआर सं0 840 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी समस्त पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किए जाने के लिए हटाई गई बातों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल एतद् द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में नर्सिंग अधिकारी के पद की भर्ती पद्वति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :—(i) इन नियमों को नर्सिंग अधिकारी भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाए ।

   (ii) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर**:— उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** :— उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता :– कोई भी व्यक्ति,–

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार है तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. छूट प्रदान करने की शक्ति :–जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा, कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा सरकार के साथ परामर्श कर व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. बचाव :– इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गो के लिए अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा मे ंछूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	**नर्सिंग अधिकारी**
2.	**पदों की संख्या**	:	**5746 *(2021)** *इसमें परिवर्तन कार्यभार के आधार पर निर्भर है।
3.	**वर्गीकरण**	:	समूह 'ख' अलिपिकीय, अराजपत्रित
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	स्तर–7 सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार (44900–1,42,400/–रू.)
5.	**क्या पद चयन अथवा गैर चयन है।**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	30 वर्ष से अधिक नहीं। **टीप**–केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	क (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में बीएससी। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। (ii) किसी भी नर्सिंग काउंसिल से नर्स या नर्स–प्रसाविका (आरएन या आरएन एवं आरएम) के रूप में पंजीकृत। (iii) नियुक्ति के समय दिल्ली नर्सिंग काउंसिल से नर्स या नर्स–प्रसाविका (आरएन या आरएन एवं आरएम) के रूप में पंजीकृत; अथवा ख (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या काउंसिल से सामान्य नर्सिंग प्रसूति विद्या में डिप्लोमा। (ii) किसी भी नर्सिंग काउंसिल से नर्स या नर्स–प्रसाविका (आरएन या आरएन एवं आरएम) के रूप में पंजीकृतः (iii) नियुक्ति के समय दिल्ली नर्सिंग काउंसिल से नर्स या नर्स–प्रसाविका (आरएन या आरएन एवं आरएम) के रूप में पंजीकृत; तथा (iv) उपरोक्त बी (i) में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता ग्रहण करने के

			पश्चात न्यूनतम 50 बिस्तर वाले अस्पताल में एक वर्ष का अनुभव। **टीप 1** : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। **टीप 2** : यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं ।
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	:	दो वर्ष ।
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	सीधी भर्ती। **टीपः** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक लम्बी अवधि के लिए कार्य से अलग रहने के कारण रिक्त पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों में से भरा जा सकता है। क नियमित आधार पर समरूप पदधारी। ख कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले।
11.	**यदि पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ विलयन किया जाना है।**	:	लागू नही ।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**समूह 'ख' डी0सी0सी0 (स्थाईकरण पर विचारार्थ विभागीय परामश समिति)** 1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (गृह),–अध्यक्ष 2. संबंधित प्रशासनिक सचिव– सदस्य 3. विशेष/अपर सचिव (श0वि0),–सदस्य **टीप** : यदि विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थाईकरण समिति के अधिसूचित अध्यक्ष के, विभागीय पदोन्नति समिति के अन्य सदस्य से कनिष्ठ होने की स्थिति में विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थाईकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

एस. रॉय बिस्वास, उप सचिव

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 6th July, 2023

F. 8(128)/2018/Nursing/H&FW/1534.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with Government of India, Ministry of Home Affairs, GSR No. 840 Dated 13th July 1959 and in supersession of all the previous notifications issued in this regard,except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Hon'ble Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi after prior consultation with UPSC, is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of Nursing Officer in the Department of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.** (i) These rules may be called Nursing Officer Recruitment Rules, 2023.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post, classification, Pay Level in the Pay Matrix:** – The number of the said post, their classification and the level in pay matrix attached thereto, shall be specified in column (1) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.** – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.
4. **Disqualifications** – No person-

   (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts;

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories on persons in accordance with the order issued by the Government of National Capital Territory of Delhi from time to time.

SCHEDULE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Name of Post.	**Number of Post.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix.**	**Whether Selection post or non-selection post.**	**Age limit for direct recruits.**
Nursing Officer	5746*(2021) Subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-ministerial, Non-Gazetted	Level-7 as per 7th CPC (Rs.44,900-142400/-) in the pay matrix.	Not Applicable	Not exceeding 30 years **Note:** Relaxable for government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the central government).

(7)	(8)	(9)
Education and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.**	**Period of Probation, if any.**
A (i) B.Sc in Nursing from a recognized university or Institute. or Regular course in B.Sc Nursing from a recognized University or Institute. or Post Basic B.Sc Nursing from a recognized University or Institute. (ii) Registered as a Nurse or Nurse- Midwife (RN or RN& RM) from any Nursing Council.	Not Applicable	2 years

(iii) Registered as a Nurse or Nurse- Midwife (RN or RN& RM) from Delhi Nursing Council at the time of appointment; OR B (i) Diploma in general nursing midwifery from a recognized Board or Council; (ii) Registered as a Nurse or Nurse- Midwife (RN or RN& RM) from any Nursing Council. (iii) Registered as a Nurse or Nurse- midwife (RN or RN& RM) from Delhi Nursing Council at the time of appointment; and (iv) one year experience in minimum fifty bedded hospital after acquiring the educational qualification mentioned at B (i) above. **Note 1** – Qualification are relaxable at the discretion of the DSSSB/Competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2-** the Qualification (s) regarding experience is / are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Schedule Castes and Schedule tribes if at any stage of selection, DSSSB/Competent authority is of the opinion that sufficient number of the candidate from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		

(10)	(11)	(12)	(13)
Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotions or by Deputation/ Absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by Promotion/ Deputation/ Absorption, grades from which promotion /Deputation / Absorption to be made.**	**If a DPC exists what is its composition.**	**Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitments.**
Direct Recruitment **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of State/Central Government. A. Holding analogous post on regular basis ; and B.Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column – 7	Not applicable	Group B – DCC (Departmental Consultation committe for considering confirmation) consisting of 1. Addl.chief Secretary (Home) /Pr.Secretary (Home) – Chairman. 2.Administrative Secretary concerned –member 3. Special/ Additional Secretary(UD)- member **Note-** Senior most member of the departmental Promotion/Departmental Confirmation Committee shall act as chairperson in case the notified chairman of the Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee happens to be the junior to another member of the Department Promotion Committee.	Not Applicable

By Order and in the Name of Lt. Governor
National Capital Territory of Delhi,

S. ROY BISWAS, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.10.23 16:30:55 +05'30'